

डिक्री व मुकदमें ईबतदाई
 अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
 पीठासीन अधिकारी:-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
 प्रकरण संख्या:-407/2018

1. जस्तासिंह } पि० पूर्णसिंह जाति जटसिख निवासी थेंडखोडा तहसील टिब्बी जिला
 2. लखासिंह } हनुमानगढ।
 -वादीगण

बनाम

1. काकासिंह पुत्र सुवासिंह
 2. चरणजीतसिंह पुत्र काकासिंह
 3. ज्ञानकौर पत्नी पूर्णसिंह
 4. महेन्द्रसिंह पुत्र सुवासिंह } अकवाम जटसिख निवासी थेंडखोडा तहसील टिब्बी
 जिला हनुमानगढ।
 -प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्तु इनफिसाल कतई रोबल हमारे बहाजरी श्री महावीर वर्मा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री करनैलसिंह प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण सं० 1 व 2 जस्तासिंह, लखासिंह तथा प्रतिवादी सं० 3 ज्ञानकौर को ब०हि०ब० चक नं० 2 एस.आर.डब्ल्यू के प०न० 216/273 मु० 41 किला नं० 3,4,8,13,14,17,18,23, 24/2277 हैं० तथा वादीगण सं० 1 व 2 जस्तासिंह, लखासिंह को ब०हि०ब० चक नं० 3 एस.आर.डब्ल्यू के प०न० 222/275 मु० 19 किला नं० 9/2/.084 कुल 0.084 हैं०, तथा प्रतिवादी सं० 1 काकासिंह को चक नं० 3 एस. आर.डब्ल्यू के प०न० 222/275 मु० 19 किला नं० 8/211, 13, 18, 23/.759, प०न० 222/276 मु० 23 किला नं० 3/1/.126 कुल 1.096 हैं० व प्रतिवादी सं० 2 चरणजीतसिंह को चक नं० 3 एस.आर.डब्ल्यू के खाता प०न० 222/274 मु० 11 किला नं० 21/.253, कुल 0.253 हैं० तथा प्रतिवादी सं० 4 महेन्द्रसिंह को चक नं० 2 एस.आर. डब्ल्यू के प०न० 216/273 मु० 41 किला नं० 6,15,16/.759, प०न० 217/274 मु० 49 किला नं० 1,10/.506 कुल 1.265 हैं० कृषि भूमि के खातेदार कार्तकार घोषित किये जाकर चक नं० 3 एस.आर.डब्ल्यू के खाता सं० 53/51 में वादीगण व प्रतिवादी सं० 3 का नाम कलमजन, इसी चक के खाता सं० 18/20 में से प्रतिवादी सं० 1 काकासिंह का हिस्सा कम, चक नं० 2 एस.आर.डब्ल्यू के खाता सं० 25/29 में से काकासिंह प्रतिवादी सं० 1 का नाम कलमजन, इसी चक के खाता सं० 15/17 में से काकासिंह, इसी चक के खाता सं० 158/144 में से काकासिंह, इसी चक के खाता सं० 160/145 में से महेन्द्रसिंह प्रतिवादी सं० 4 व इसी चक के खाता सं० 161/147 में से महेन्द्रसिंह प्रतिवादी सं० 4 व प्रतिवादी सं० 1 काकासिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुश्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय
 शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक 12/12/18 अदा करे।

इसका मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 12/12/2018 को जारी किया गया।



(उम्मेद सिंह रतनू)
 सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी